(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 31 / 2017

बउनवान

1– सत्यनारायण उम्र 47 वर्ष पुत्र रामरतन जाति किराड निवासी हनुवतखेडा तहसील अटरू
2– पन्नालाल उम्र 90 वर्ष पुत्र नारायण जाति किराड निवासी हनुवतखेडा तहसील अटरू
3– रामगोपाल पुत्र धन्नालाल जाति किराड निवासी हनुवतखेडा तहसील अटरू
4– रामस्वरूप उम्र 40 वर्ष पुत्र मन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी हनुवतखेडा तहसील अटरू
5– धन्नालाल उम्र 90 वर्ष पुत्र देवलाल जाति मीणा निवासी हनुवतखेडा तहसील अटरू

(अपीलांटगण)

बनाम

1– रामलीलाबाई आयु 40 वर्ष पत्नि मोरपाल जाति मीणा ग्राम हनुवतखेडा तहसील अटरू
2– राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार अटरू जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध नायब तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 575 दि. 04.10.2016 अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :– 1. श्री कृष्ण गोपाल भार्गव अभिभाषक (अपीलांट)
2. अनुपस्थित (रेस्पोडेन्ट क्रम. 1)
3. उपस्थित पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट क्रम. 2)

निर्णय दिनांक 08.08.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 575 दिनांक 04.10.2016 वाके ग्राम हनुवतखेडा तहसील अटरू जिला बारॉ से अप्रसन्न होकर, विरूद्व रेस्पोडेन्ट के अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 14.06.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल इंतकाल तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अटरू से इंतकाल की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय को प्राप्त हुई। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण मे अपीलांट्स के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रकरण मे सर्व प्रथम लिमिटेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपीलांट्स के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे विस्तृत बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खाता संख्या 70 की भूमि खसरा नम्बर 122 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 125 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.18 है0, कुल किता 10 रकबा 2.04 है0, वाके माल हनुवतखेडा तहसील अटरू मे स्थित है।

उक्त भूमियात को लेकर अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य एक वाद न्यायालय एस.डी.ओ. अटरू के यहॉ विचाराधीन है तथा उक्त भूमि का ही एक वाद न्यायालय ए.डी.जे. साहब छबडा के यहॉ विचाराधीन था। जिसका निर्णय दिनांक 07.09.2016 को हो चुका है। जिसकी अपील वर्तमान मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर मे विचाराधीन है। उक्त भूमि विवादग्रस्त है, क्योकि एलोटमेन्ट के समय जो भूमि एलोट की गई थी, जो ज्यादा है तथा मौके पर कम है, इस विवाद के कारण उक्त भूमि को लेकर विभिन्न न्यायालयो मे वाद विचाराधीन है। इसके बावजूद हल्का पटवारी द्वारा रेस्पोडेन्ट से मिलकर उक्त भूमि का इंतकाल रेस्पोडेन्ट रामलीलाबाई के नाम खोल दिया है, जो एक कानूनी भूल है। इस कारण इंतकाल नम्बर 575 दिनांक 04.10.2016 निरस्तनीय है।

उक्त भूमि के बाबत् पूर्व मे दौराने वाद हल्का पटवारी द्वारा यह रिपोर्ट दी गई थी कि उक्त भूमि अपीलांट के कब्जे मे है और अपीलांट के कब्जे मे होते हुए भी वर्तमान हल्का पटवारी द्वारा उक्त भूमि का इंतकाल रेस्पोडेन्ट के नाम खोल दिया गया है, जो पूर्णतया अवैधानिक एवं गैर कानूनी है। इस कारण इंतकाल नम्बर 575 दिनांक 04.10.2016 निरस्तनीय है। उक्त भूमि पर न्यायालय एस.डी.ओ. अटरू द्वारा दिनांक 18.06.2010 से रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया जा चुका है। इसके बावजूद भी हल्का पटवारी द्वारा रेस्पोडेन्ट के नाम पर इंतकाल खोलकर कानूनी भूल की है।

उक्त भूमि से संबंधित एक वाद न्यायालय ए.डी.जे. साहब छबडा के यहां विचाराधीन था। जिसमे भी दिनांक 06.07.2009 से रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश हो रहे थे। इसके बावजूद हल्का पटवारी द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे इंतकाल खोलकर कानूनी भूल की है। इस प्रकरण मे एफ.आर. लगाई है। इसलिए उक्त इंतकाल काबिल निरस्तनीय है।

उक्त भूमि से संबंधित वाद संख्या 29/2009 के निर्णय दिनांक 07.09.2016 को होने के बाद न्यायालय ए.डी.जे. साहब छबडा द्वारा उक्त वाद की अपील पेश करने तक के लिए भी एक माह का मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी पारित किया था। इसके बावजूद हल्का पटवारी द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे इंतकाल खोलकर भारी कानूनी भूल की है। जो काबिल निरस्तनीय है। इस जमीन पर अपीलांटगण का पीढी दर पीढी कब्जा चला आ रहा है, वर्तमान मे भी कब्जा है।

उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट के नाम इंतकाल खोलने की सूचना अपीलांट्स को दिनांक 05.05.2017 को हल्का पटवारी से नकल प्राप्त करने पर हुई। नकल प्राप्ति की दिनांक से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 575 दिनांक 04.10.2016 वाके माल हनुवतखेडा तहसीलदार अटरू को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटगण को खातेदार घोषित किया जावे।

हमने प्रकरण मे अपीलांट्स के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी उस पर मनन किया पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 575 दिनांक 04.10.2016 वाके माल हनुवतखेडा नायब तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीक किया गया है।

जिसकी अपील अपीलांट्सगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। जिसमे रेस्पोडेन्ट के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अपीलांट्स के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ओर अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल की प्रमाणित प्रति तलब की गयी। जिससे अवलोकन से पाया गया कि उक्त इंतकाल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 5.5.2009 के आधार पर दिनांक 04.10.2016 को खोला गया है। खातेदार दुर्गालाल पुत्र काना जाति नाई ने अपने हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 रामलीलाबाई पत्नि मोरपाल मीणा को बेचान कर मौके पर कब्जा सम्भलाया जाना अंकित किया गया है। प्रकरण मे इंतकाल तस्दीकी दिनांक 04.10.20016 को किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभाव मे होने का इंतकाल मे अंकन नही हो रहा है।

अपीलांट्सगण कब्जे के आधार पर वादग्रस्त आराजी में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करना चाहते है, तो उन्हे सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करके ही कोई अनुतोष प्राप्त करना चाहिये था। इंतकाल की कार्यवाही में किसी के हित व स्वत्व निहित नहीं किये जा सकते हैं। इंतकाल कार्यवाही एक समरी प्रोसीडिंग है।

चूंकि वादी अपने वाद का स्वामी होता है। अतः अपीलांट्स के विद्वान अभिभाषक प्रस्तुत अपील की ताईद मे कोई भी विधिक तथ्य प्रस्तुत करने मे विफल रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अटरू द्वारा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया के अनुरूप खोले गये इंतकाल नम्बर 575 दिनांक 04.10.2016 वाके माल हनुवतखेडा तहसील अटरू मे हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट्स द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। यदि अपीलांट असंतुष्ट है तो वह किसी भी सक्षम अदालत से अन्यथा नियमानुसार अनुतोष प्राप्ति हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.08.28 13:53:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: